भवाना व अन्य बनाम ज्ञानचन्द व अन्य

...ख्या : 18/251

..6.05.2015	अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो किये जाने एवं दीए जाने इजाजत पेश करने अन्तर्गत आदेश 23 नियम 01 व धारा 151 सीपीसी पर पत्रावली पेश हुई । अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि उक्त अपील न्यायालय हाजा में गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत कर दी गई है । उक्त कृत्य अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया है बल्कि भूलवश जानकारी के अभाव में अपील मृतक देवीलाल की आरे से उसके द्वारा पूर्व में हस्ताक्षरित कागजों एवं वकालतनामे पर पेश कर दी गई है जिसके लिए अपीलान्ट शर्मिदा है और माफी के हकदार हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/अपीलान्ट को नई नवीन अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील संख्या 18/251 विड्रॉ फरमाई जावे । हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो कथन किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । ऐसी स्थिति में न्यायहित में नई अपील प्रस्तुत करने का अवसर अपीलान्ट को प्रदान करते हुए उक्त अपील संख्या 18/251 विड्रॉ करने की अनुमति प्रदान की जाती है । अपील अपीलान्ट दाखिल दफ्तर हो । (पंकज कुमार ओझा) राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा